निविदा नोटिस

जिला औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत राजकीय पौधशाला गनेशपुर(लहरपुर) पर छोटी पौधशाला स्थापना हेतु बुनियादी ढॉचा शेडनेट हाउस निर्माण हेतु केवल अनुभवी फर्मों द्वारा मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म मूल्य रू0 50/–मात्र नकद मूल्य पर दिनॉक 26.02.09 तक या इसके पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा पत्र केवल मैन्यूफैक्चर्स या उनके अर्थराइज्ड डीलर को ही दिये जायेंगे। भरी हुई निविदाएं 26.02.09 दोपहर 2:00बजे तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए तथा उसी दिन 3:00बजे कमेटी द्वारा खोली जायेंगी,निविदा के नियम व शर्तें निम्नवत् हैं। विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नियम व शर्तें–

1– निविदाएं सीलबन्द दो अलग–अलग लिफाफों में होनी चाहिए। पहले लिफाफें में तकनीकी विवरण अनुभव प्रमाण पत्र,पैन नम्बर,वैट रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट,धरोहर राशि तथा दूसरे लिफाफे में केवल प्राईस बिड होनी चाहिए। प्राइस बिड उन्हीं फर्मों की खेली जायेगी जो फर्म तकनीकी रूप से ठीक होगें।

2– प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि के रूपये में रू02000/–(दो हजार रूपये) मात्र कार्यालय के कैशिएर के यहॉ नकद जमा कराकर उसकी रसीद लगाना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के निविदा रद्द कर दी जायेगी।

3– फर्म उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा सेन्ट्रल व्यापार कर में अवश्य रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

4– फर्म/ प्रोपराइटर का इनकमटैक्स क्लीयरेन्स सर्टीफिकेट्स/ पैन नम्बर लगा होना चाहिए।

5– सामान को पहुँचाने व निर्माण की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

6– कार्य के दौरान संस्थान की सम्पत्ति की क्षति की दशा में फर्म जिम्मेदार होगी।

7– स्ट्रक्चर तथा इन्स्ट्रूमेन्ट की गारण्टी अवधि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

8– वैट टैक्स,इन्स्टालेशन चार्ज तथा ट्रान्सपोटेशन चार्जेज आदि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

9– पूर्ण रूप से ऑशिक रूप से निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी महोदय को होगा।

10– निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा। बिना अनुभव के निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11– भुगतान 80प्रतिशत भुगतान नेट हाउस में लगने वाले सामान के फिजिकल डिलवरी के समय तथा 20प्रतिशत भुगतान नेट हाउस के बन जाने के उपरान्त दिया जायेगा।

12– फर्म द्वारा बनाये गये नेट हाउस निरीक्षण कमेटी द्वारा किया जा सकता है।

13– निविदा स्वीकृत के पश्चात् प्रत्येक कार्य हेतु रू05000/–जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट या एन.एस.सी. जमा करना होगा।

सचिव,जिला औद्यानिक मिशन/
जिला उद्यान अधिकारी
सीतापुर।

कमशः–2पर

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी,सीतापुर।

पत्रांक– 4342-52/लेखा / निर्माण / 2008–09 / दिनॉक: 11.02.2009

प्रतिलिपि–

1–जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।

2–मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।

3–निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0लखनऊ।

4–उप निदेशक उद्यान,लखनऊ–मण्डल,लखनऊ।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि प्रेषित निविदा सूचना इन्टरनेट की सम्बन्धित साईट पर डालने की कृपा करें।

6–जिला सूचना अधिकारी,सीतापुर।

7–अर्थ एवं संख्याधिकारी,सीतापुर।

8–वित्त एवं परामर्शदाता,जिला पंचायत–सीतापुर।

9–संमस्त जिला उद्यान अधिकारी,लखनऊ–मण्डल,लखनऊ।

10–नाजिर कलेक्ट्रेट,सीतापुर / कार्यालय नोटिस बोर्ड,विकास भवन,सीतापुर।

11–सम्बन्धित फर्म को सूचनार्थ।

सचिव,जिला औधानिक मिशन /
जिला उद्यान अधिकारी
सीतापुर।

D:\Tender\Tender Notice.doc